ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर-नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नोएडा सिटी–201310, जिला–गौतमबुद्ध नगर
वेबसाईट–www.greaternoidaauthority.in, ई–मेल– authority@gnida.in

दिनांक–28.10.2020

प्रेस–विज्ञप्ति

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.10.2020 (गुरूवार) को प्राधिकरण कार्यालय के भूतल पर स्थित हॉल में जल अदालत लगायी जायेगी। जिसमें औद्योगिक सेक्टर–ईकोटेक–6, ईकोटेक–7, ईकोटेक–8, ईकोटेक–1 एक्सटेन्शन एवं सेक्टर–ईकोटेक–1 एक्सटेन्शन–1 से सम्बन्धित जल शुल्क के सम्बन्ध में आवंटियों से उनकी शिकायत सुने जाने एवं उसका नियमानुसार तत्काल निस्तारित करने के सम्बन्ध में–

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आवंटियों के पानी के बिल की समस्या समाधान हेतु जल अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिससे कि आवंटियों को अपने पानी की बिलों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

उक्त के क्रम में प्रत्येक सप्ताह एक सेक्टर की **"जल अदालत"** लगाकर उस सेक्टर के पानी के बिल से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का निस्तारण उसी कार्यदिवस में सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये जाने हेतु आदेशित किया गया है साथ ही **प्रत्येक सप्ताह के गुरूवार को प्रातः 10:00 से दोपहर 12:00 बजे तक "जल अदालत"** का आयोजन भूतल पर स्थित हॉल में करते हुए दो–दो सेक्टर की पानी के बिलों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान कराया जाये।

उक्त के अनुपालन में प्रथम चरण में **गुरूवार (दिनांक 29.10.2020) को प्राधिकरण कार्यालय के भूतल पर स्थित हॉल में जल अदालत लगायी जा रही है। जिसमें औद्योगिक सेक्टर–ईकोटेक–6, ईकोटेक–7, ईकोटेक–8, ईकोटेक–1 एक्सटेन्शन एवं सेक्टर–ईकोटेक–1 एक्सटेन्शन–1 से सम्बन्धित जल शुल्क के सम्बन्ध में आवंटियों से उनकी शिकायत सुनी जायेगी एवं उसका नियमानुसार तत्काल निराकरण भी कराया जायेगा।** साथ ही आने वाले प्रत्येक गुरूवार को इस व्यवस्था को अनवरत रखा जायेगा, जिस हेतु दिनांक एवं सेक्टर का रोस्टर विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	**सेक्टर का नाम, जिस हेतु जल अदालत का आयोजन किया गया है।**	**दिनांक**
1	सेक्टर–ईकोटेक–1 एक्सटेन्शन एवं सेक्टर–ईकोटेक–1 एक्सटेन्शन–1, सेक्टर–ईकोटेक–6, 7, 8	29.10.2020
2	सेक्टर–ईकोटेक–3 एवं टॉय सिटी	05.11.2020
3	संस्थागत ग्रीन (बी0जेड0पी0) एवं सेक्टर–16 (औद्योगिक)	12.11.2020

जल अदालत हेतु प्राधिकरण के जल विभाग से श्री श्रीपाल भाटी, वरिष्ठ प्रबन्धक जल उपरोक्त हेतु समन्वयक अधिकारी होंगे। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण अपने आवंटियों/निवसियों से आग्रह करता है कि प्राधिकरण कार्यालय आते समय कोविड–19 के प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त जल की समस्या हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण कार्यालय में स्थापित हेल्पलाईन सेन्टर में दूरभाष संख्या–0120–2336046,47,48 एवं 49 तथा WhatsApp No.-8800203912 एवं मित्रा ऐप के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर अपनी समस्याओं की जानकारी/विवरण दर्ज करा सकते हैं। जिसका समाधान प्राधिकरण के परियोजना/जल विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि/शिड्यूल में करा दिया जायेगा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी